न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी– श्री जगदीशसिंह आशिया,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 124/2025

प्रार्थी बनाम	**विप्रार्थीगण**
श्रीराम वल्द रामचन्द्र जाति जाट निवासी नेहरों का तला तहसील नौखड़ा जिला बाड़मेर	1. गोरखाराम पुत्र बुधाराम 2. चेतनराम पुत्र बुधाराम 3. प्यारीदेवी पत्नि बुधाराम 4. हरचंदराम पुत्र लच्छाराम जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी चाडो की ढाणी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा 5. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1. श्री पाबूराम बेनीवाल अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण, अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 4 की ओर से उपस्थित।
3. विप्रार्थी सं. 5 के पैरोकार सरकार उप0। शेष एकतरफा।

निर्णय

दिनांक– 22.08.2025

संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है, कि वकील प्रार्थी श्री पाबूराम बेनीवाल द्वारा उपस्थित होकर एक राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत पेश किया गया है।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सुनी गई। दौराने बहस प्रार्थी ने तर्क दिए कि उनकी ओर से एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया गया है। जिसमें प्रार्थी को सफलता मिलने की पूर्ण संभावना है,कि प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 4 का संयुक्त खातेदारी व सामलाती कब्जा काश्त का खेत खेत खसरा संख्या 99 रकबा 2.9690 हैक्टयर मौजा सिणधरी चौसिरा तहसील सिणधरी में आया हुआ है कि उक्त वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा खातेदारी का दर्ज है तथा विप्रार्थीगण का भी अपने–अपने हिस्से की भूमि खातेदारी में दर्ज है। इसी अनुरूप जिंसाकस्सी राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण की खुल्ली हुई है तथा राजस्व रेकर्ड में [illegible]र अलग अलग हिस्से दर्ज है तथा मौके पर भूमि का मौखिक रूप [illegible] प्रार्थीगण एवं विप्रार्थीगण के मध्य भूमि के सेढों को लेकर झगड़ा होता है एवं विप्रार्थीगण प्रार्थी के हिस्से की भूमि एवं उसके कब्जे काश्त में लगातार दखल अन्दाजी कर रहे है व पुराने मौखिक बंटवाडे [illegible] कायम सेढो को तोड़ रहे है एवं प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त से बेदखल करने पर आमादा है तथा मौके पर नया निर्माण आदि कर मौके की स्थिति में रहोबदल करने पर प्रयासरत है जबकि वादग्रस्त भूमि का विधिवत रूप से बंटवाड़ा किया हुआ नहीं है जिस कारण प्रत्येक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:04:50 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
SDO सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner

[..]कार का प्रत्येक इंच पर समान हक हिस्सा है इस तथ्य को लेकर प्रार्थी एवं विप्रार्थीगण के इस अरसा एक माह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, साथ ही प्रार्थी अपने हिस्से व कब्जे काश्त की भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु सहकारी संस्था एवं विकास बैंक जैसी संस्थाओं से ऋण लेना चाहते है किन्तु भूमि सामलाती होने से प्रार्थी को कई परेशानियों एवं दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। विप्रार्थीगण बेशकीमती व विशिष्ट भू–भाग वाली भूमि पर नया निर्माण आदि कर हथियाने का प्रयास कर रहे है जबकि भूमि का विधिवत रुप से बंटवाड़ा नहीं किया हुआ होने के कारण सामलाती भूमि में विप्रार्थीगण विशिष्ट भूमि–भाग पर निर्माण आदि करवाने के अधिकारी नहीं है तथा प्रार्थीगण के हिस्से की कब्जे काश्त की भूमि में मौखिक बंटवाड़े अनुसार कायम रोडे को तोड़कर विप्रार्थीगण, प्रार्थी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप कर रहे हैयदि ऐसा करने में विप्रार्थीगण सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में सम्भव नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार कर खेत खसरा संख्या 99 रकबा 2.9690 हैक्टयर मौजा सिणधरी चौसिरा तहसील सिणधरी में प्रार्थी के कब्जे काश्त की भूमि में विप्रार्थीगण व उसके परिवार सदस्य या एजेन्ट किसी प्रकार की दखलअन्दाजी व हस्तक्षेप नहीं करें तथा न ही जबरन प्रार्थी को बेदखल करने का प्रयास करें तथा न ही प्रार्थी के हिस्से पर काश्त करें तथा न ही मौके पर किसी प्रकार का कच्चा या पक्का नया निर्माण करें इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा प्रार्थी के पक्ष में विप्रार्थीगण के विरुद्ध जारी की जाये।

हमनें वकील प्रार्थी की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का गम्भीरता पूर्वक अध्ययन किया। जिसमें पाया कि पत्रावली के संलग्न विवादित भूमि की जमाबंदी रेकर्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पक्षकारान की खातेदारी की सामलाती कब्जे काश्त की भूमि है तथा विवाद का मुख्य कारण खातेदारी जोत के विभाजन को लेकर है, जिसका निपटारा मूल वाद में जरिये साक्ष्य/सबूत के आधार पर विधिवत सुनवाई के किया जाना है। जहां प्रार्थी रिकार्डेड खातेदार है तथा संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन में प्रथम दृष्टया सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में बनता है। यदि दौराने विचारण वाद संयुक्त कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करने की कोशिश की जाती है अथवा विवादित भूमि के बैचान अथवा मौका स्थिति में रद्दोबदल इत्यादि होने से राजस्व रेकर्ड की स्थिति में फेरबदल हो जाता है,तो प्रार्थी को क्षति होनी की संभावना बढ़ती है एवं पक्षकारान के मध्य विवाद बढने से इन्कार भी नहीं किया जा सकता है व वाद को निस्तारण किये जाने में भी कानूनी पेचीदिगीया बढेगी। ऐसी स्थिति में सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में निहीत होने से स्थगन आदेश जारी किया जाना न्यायसंगत प्रतीत होता है।

लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण को मूलवाद के ताफैसला तक जरियें स्थगन आदेश से पाबंद किया जाता है कि वे मौजा सिणधरी चौसिरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 99 रकबा 2.9690 हैक्टेयर के प्रार्थी के हिस्से की भूमि में किसी प्रकार की दखलदांजी, बेचान अथवा हस्तान्तरण इत्यादि नहीं कर राजस्व रेकर्ड एवं उसके मौके की यथास्थिति बनाये रखे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2025.09.28 19:04:50 IST
Reason: SelfAttested

(जगदीशसिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 22[illegible] खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर सिणधरी

Scanned with OKEN Scanner